

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O) 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/सी/901

धमतरी, दिनांक: 24/04/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त रायपुर

विषय :-

Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evan Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in Favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Raod i/c culver and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of raod is proposed under the Forest land Diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarh- reg.

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022

- संदर्भ :-1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/5/2024 - IRO/Raipur/1593 दिनांक 29.02.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-921/637 दिनांक 01.03.2024
3. आपका पत्र क्रमांक/तक.अधि/3842 दिनांक 08.04.2024
4. आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का पत्र क्रमांक/1831/शिल्प-24/ धमतरी, दिनांक 20.04.2024

⊗ ⊗ ⊗

विषयांतर्गत धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य रकबा 37.973 हे. प्रकरण में संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गयी है। जिसकी संसूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. के संदर्भित पत्र 2 तथा आपके संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी के संदर्भित पत्र 4 के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से चाही गई उक्त 05 बिन्दुओं की निराकरण संबंधी जानकारी/उत्तर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में कार्यालयीन टीप/जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	आपत्ति	उत्तर
1	User Agency shall submit the map and KML file of the entire alignment highlighting forest area proposed for diversion and location of all structures (Bridge, Box culverts etc).	आवेदक संस्थान द्वारा मेघा-सिंगपुर-दुगली प्रस्तावित मार्ग के संपूर्ण लंबाई का KML File तैयार कर वनक्षेत्र को हाई-लाईट करते हुए ब्रीज एवं बॉक्स कल्वर्ट की स्थिति .kml file में दर्शित किया गया है। .kml file सी.डी. में संलग्न है।
2	Consolidated single KML file of the entire road alignment under the instant proposal highlighting the proposed forest area for diversion needs to be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा पूरे प्रस्तावित मार्ग का KML File जिसमें प्रभावित वनभूमि, जिसका व्यवर्तन प्रस्तावित है, को हाई-लाईट करते हुए सी.डी. में संलग्न किया गया है।
3	In KML file of the proposed road in the high-resolution Google Earth its appears that proposed road is passing through PAs area of Sitanadi	प्रस्तावित मार्ग सीतानदी अभ्यारण्य की सीमा से 10 कि.मी. परिधि से दूर स्थिति है, प्रस्ताव में संलग्न वन आवरण मानचित्र में प्रस्तावित मार्ग के 10 कि.मी. परिधि का क्षेत्र

	Wildlife Sanctuary. Map with 10 Km radius of PA needs to be submitted	पर्पल रंग के बोल्ड लाईन से चिह्नित है (FMIS द्वारा प्रदायित वन आवरण मानचित्र सी.डी. में संलग्न है)। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित मार्ग को उदन्ती सीतानदी अभ्यारण्य की सीमा से High Resolution गूगल अर्थ में Superimpose कर मानचित्र संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार उक्त प्रस्तावित मार्ग अभ्यारण्य की सीमा से 24.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जिसकी पुष्टि वनमंडल कार्यालय द्वारा किया जाता है। मानचित्र की प्रति (संलग्नक-1) के रूप में संलग्न है। प्रस्तावित मार्ग एवं उदन्ती सीतानदी अभ्यारण्य की सीमा की आकाशीय दूरी को दर्शाता हुआ .kml file भी सी.डी. में संलग्न है।
4	Compensatory afforestation has been proposed over 76.00 ha. degraded Reserve Forest land in two patches in compartment no. RF-287 - patch-1 (24.00 ha) and patch-2 (52.00 ha). But KML of 54.00 Ha is not visible on the Parivesh Portal	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र महासमुंद वनमंडल के पिथौरा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF 287 में 76.00 हेक्टेयर दो खंडों (भाग-1, 24.00 हे. तथा भाग-2, 52.00 हे.) का चयन किया गया है। क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त क्षेत्र का KML File परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है, जो कि पोर्टल में दर्शित है/खुल रहा है। साथ ही सी.डी. में संलग्न प्रेषित है।
5	Concerned DFO has mentioned in Part-II and site inspections report that some rare and endangered species of flora and fauna are found in the area. In this regard user agency needs to submit a conservation plan with consultation of the State Forest Government of Chhattisgarh.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में प्रभावित वनभूमि के आस-पास वनक्षेत्र में पाये जाने वाले दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय प्रजाति के वनस्पति एवं जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन विभाग के परामर्श से योजना तैयार कर प्रकरण के प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने तथा उसके क्रियान्वयन हेतु वांछित राशि वन विभाग के पास जमा किये जाने संबंधी वचन पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-2)

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित आपकी ओर सादर सम्प्रेषित हैं। कृपया प्रकरण में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/2404

प्रतिलिपि:- 01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. कलेक्टर, जिला-धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। "वर्तमान में किसी भी वनक्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।"

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी
धमतरी, दिनांक: 24/04/2024

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी